न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

वाद संख्या 81 / 2024-25

धारा 163 BNSS

प्रथम पक्ष .... नारायण सिंह ....

बनाम

द्वितीय पक्ष .... विदेशिया महतो उर्फ ठेमु महतो वगै0 ......

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 01 / 2024-25 दिनांक 14.02.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष :–** नारायण सिंह उम्र करीब 48 वर्ष पिता–स्व0 भुनेश्वर सिंह, ग्राम–लतरा,महतोटोली थाना–कामडारा जिला–गुमला वर्तमान पता– चापी थाना–जरीयागढ़ जिला– खुँटी **बनाम द्वितीय पक्ष :–** (1) विदेशियता महतो उर्फ ठेमु महतो पिता– रामेश्वर महतो (2) रामेश्वर महतो, उम्र करीब 51 वर्ष पिता– स्व0 सुखदेव महतो (3) लुरी देवी उम्र करीब 40 वर्ष, पति–रामेश्वर महतो (4) रंजीत महतो उम्र करीब 34 वर्ष पिता– रामेश्वर महतो सभी ग्राम–लतरा, महतोटोली थाना–कामडारा जिला– गुमला के बीच खाता स0 239 प्लॉट सं0 797 भूमि पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों की बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त है एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2026.01.06 11:48:53 +05:30
Location: 192.168.1.35